मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
<u>मंत्रालय</u>

क्रमांक एफ–16–1761/2010 भोपाल, दिनांक 16.7.2010

प्रति,

समस्त जिला दण्डाधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय– नवीन शस्त्र दुकान की अनुज्ञप्ति एवं वर्तमान शस्त्र दुकान की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण जारी करने के संबंध में मापदण्ड ।

---0---

उपरोक्त विषय पर शस्त्र नवीनीकरण के संबंध में दिनांक 12.3.2010 से शस्त्र डीलरशिप लायसेंस के नवीनीकरण के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं । उपरोक्त नवीनीकरण के मापदण्ड के संबंध में आंशिक संशोधन किया गया है । साथ ही साथ नये शस्त्र डीलरशिप प्रदाय करने के संबंध में स्पष्ट एवं पारदर्शी मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं । भारतीय आयुध अधिनियम, 1962 की अनुसूची 2 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति जारी करने एवं उसके नवीनीकरण के लिये राज्य शासन को प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत नये शस्त्र दुकानों एवं उनके नवीनीकरण के संबंध में निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं –

1. <u>नवीन शस्त्र दुकान की अनुज्ञप्ति –</u>

1.1. जिले में उपलब्ध लायसेन्सी हथियारों की संख्या के आधार पर प्रत्येक 1000 हथियार के उपर एक शस्त्र दुकान के मापदण्ड से शस्त्र दुकानों की अधिकतम संख्या नियत की जाती है । परन्तु जिले में 2000 शस्त्रों के लायसेन्स उपलब्ध होने तक न्यूनतम दो दुकानों की पात्रता होगी । जैसा कि वर्तमान में उल्लेखित कुछ जिलों में उनके समक्ष उपलब्ध हथियारों की संख्या के अनुरुप शस्त्र दुकानों की अधिकतम सीमा निम्नानुसार रहेगी :–

जिला	उपलब्ध हथियारों की संख्या	अधिकतम दुकान की संख्या
अलीराजपुर	21	2
अनुपपुर	104	2
अशोकनगर	2698	3
ग्वालियर	24847	25

1.2 जिलों में उपरोक्त निर्धारित अधिकतम संख्या से अधिक संख्या में शस्त्र दुकान उपलब्ध है, उन जिलों में शस्त्र दुकानों की नई अनुज्ञप्ति नहीं जारी की जायेगी ।

1.3 दुकानों का न्यूनतम क्षेत्रफल उनके अनुज्ञप्ति की प्रकृति के अनुरुप निम्नानुसार रहेगा –

कमांक	अनुज्ञप्ति का प्रकार	न्यूनतम क्षेत्रफल
1	2	3
(i)	मरम्मत; फार्म नम्बर XI	120 वर्गफुट
(ii)	ब्रिकी ;फार्म नम्बर XII	200 वर्गफुट
(iii)	मरम्मत एवं ब्रिकी ;फार्म नम्बर XI एवं XII	240 वर्गफुट
(iv)	बिक्री एवं सेफ कस्टडी ;फार्म नम्बर XII एवं XIV	240 वर्गफुट
(v)	मरम्मत, बिक्री एवं सेफ कस्टडी;फार्म नम्बर XI, XII एवं XIV	300 वर्गफुट

1.4 नये शस्त्र दुकानों की अनुज्ञप्ति उन्हीं को जारी की जायेगी जो कि उस जिले का स्थाई निवासी हो एवं गत 10 वर्षों से लगातार निवासरत हो।

1.5 नये शस्त्र दुकानों की अनुज्ञप्ति केवल उन्हीं को दी जायेगी जिसके परिवार के किसी भी सदस्य की गतिविधियां संदिग्ध न हो तथा परिवार के सदस्यों के नाम से पूर्व से कोई शस्त्र दुकान न हो ।

1.6 नये दुकान परिसर के लिये स्थानीय निकायों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा अग्नि शमन का अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी प्राप्त करना होगा । राजस्व अधिकारियों एवं पुलिस से चरित्र एवं गतिविधियों के संबंध में स्पष्ट अनुशंसा की जावे ।

1.7 प्रस्तावित दुकान सुरक्षित स्थान पर होना चाहिये । यानि सुनसान इलाकें में स्थित न हो तथा सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध हो ।

1.8 नई दुकानों की अनुज्ञप्ति प्रारम्भ में न्यूनतम मात्रा के लिये निम्न तालिका के कॉलम 3, 5 एवं 6 तथा 9 एवं 10 कि अनुसार तीन वर्षो के लिये दी जायेगी । परन्तु राज्य शासन व्दारा तीन वर्षो के लिये अनुज्ञप्ति दिये जाने के बाद व्दित्तीय एवं तृत्तीय वर्ष के लिये शस्त्र विक्रेता की दुकान का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण जिला दण्डाधिकारी व्दारा कराया जाकर अनापत्ति जारी की जायेगी ।

स.क.	शस्त्र का नाम	प्रपत्र XI मरम्मत		प्रपत्र XII (बिक्री)				प्रपत्र XIV (सेफ कस्टडी)			
		न्यूनतम हथियार	अधिकतम हथियार	न्यूनतम		अधिकतम		न्यूनतम		अधिकतम	
				हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	22 बोर रायफल	5	20	10	1000	50	5000	10	500	50	2000
2	बी.एल.गन	5	50	20	2000	100	10000	20	1000	200	5000
3	रायफल	5	50	20	2000	100	10000	20	1000	200	5000
4	पिस्टल/ रिवाल्वर	5	20	10	1000	50	10000	10	200	50	2000
5	एम.एल गन	5	50	10	1000	50	2000	10	1000	50	2000
6	टोपी	.	.	.	1000	.	2000	.	200	.	2000
7	12 बोर शार्टगन	5	20	10	1000	50	2000	10	200	50	2000
8	लेड शोट	.	.	.	20 Kg	.	50 Kg	.	.	.	.

1.9 उपरोक्त अनुज्ञप्ति में मात्रा की वृद्धि उपरोक्त तालिका के कॉलम 4, 7 एवं 8 तथा 11 एवं 12 के अधिकतम सीमा के अन्तर्गत होगी ।

2. शस्त्र डीलरशिप लायसेंस नवीनीकरण करने के संबंध में मापदण्ड –

2.1 25 शस्त्र या 2500 कारतूस के विक्रय का मापदण्ड केवल उन जिलों में लागू रहेगा, जहां पर दुकानों की संख्या नये दुकानों के लिये निर्धारित अधिकतम संख्या से अधिक है । जैसे कि भिण्ड में निर्धारित संख्या 25 के विरुध्द 101 दुकान स्थित है । छतरपुर में निर्धारित संख्या 12 के विरुद 22 दुकान स्थित है ।

2.2 जिले में दुकानों की निर्धारित अधिकतम संख्या से कम दुकान उपलब्ध होने पर सभी दुकानों का नवीनीकरण अन्य शर्तों के अधीन किया जायेगा ।

2.3 उन जिलों में जहां दुकानों की संख्या निर्धारित से अधिक है, परन्तु कोई भी दुकान निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड अनुसार 25 हथियार या 2500 कारतूस की संख्या को पूर्ण नहीं कर रही है, वहां बिकी के आधार पर अधिकतम बिकी करने वाले दुकानों

का नवीनीकरण निर्धारित अधिकतम दुकानों की संख्या की सीमा में किया जायेगा। जैसा कि बालाघाट में 775 हथियार हैं और दुकानों की संख्या 6 हैं, वहाँ अधिकतम बिक्री के आधार पर दो दुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा ।

2.4 वर्तमान में मौजूद दुकानों का क्षेत्रफल भी कंडिका 3 अनुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दिसम्बर 2010 तक पूर्ण करना होगा अन्यथा 2011 से इनका नवीनीकरण नहीं किया जायेगा ।

2.5 नवीनीकरण में विक्रय की औसत संख्या निर्धारित करते समय एक दुकान से दूसरे दुकान को आपस में बिक्री/हस्तातंरण की संख्या को शामिल नहीं किया जायेगा। इसमें केवल व्यक्तिगत लायसेंसधारियों (रिटेलर) को, की गई बिक्री की संख्या को ही शामिल किया जायेगा ।

2.6 कंडिका 2 एवं 3 के अन्तर्गत आने वाले जिलों को छोड़कर शेष जिलों में पूर्व में दिनांक 12.3.2010 को जारी मापदण्ड अनुसार नवीनीकरण किया जायेगा । पूर्व में जारी मापदण्ड की प्रति संलग्न है ।

3 उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगे ।

4. उक्त आदेश की प्रति गृह विभाग की वेबसाईट www.mp.gov.in/home पर उपलब्ध है ।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

16.7.10
(अनिल कुमार)
अपर सचिव
म.प्र.शासन,गृह विभाग

क्रमांक एफ–16–1761/2010 भोपाल, दिनांक 16.07.2010

प्रतिलिपि–

1. समस्त सम्भागायुक्त, मप्र, ।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश ।

को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

16.7.10
(अनिल कुमार)
अपर सचिव
म.प्र.शासन,गृह विभाग

शस्त्र दुकानों के नवीनीकरण के मापदण्ड

फार्म नम्बर 12 (बिकी)

1. गत तीन वर्ष के औसत बिकी/गत वर्ष के बिकी के आधार पर मापदण्ड निर्धारित किया जायेगा।
2. फार्म 12 के अन्तर्गत गत वर्ष या गत तीन वर्ष जिसकी जानकारी उपलब्ध है, के वार्षिक औसत बिकी की मात्रा (एक वर्ष की औसत बिकी के बराबर) निकाला जायेगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या को अगले 10 के गुणक (दहाई संख्या) पर राउन्ड कर अंतिम संख्या नवीनीकरण हेतु नियत की जायेगी। इसी प्रकार कारतूसों की संख्या 1000 के अगले गुणक (हजार) पर नियत की जायेगी।
3. यदि बिकी का ऑकड़ा एक वर्ष से कम का है तो उसे अनुपातिक रुप से एक वर्ष के लिये निकाला जाएगा एवं तत्पश्चात कंडिका 2 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. उपरोक्तानुसार नियत की गयी संख्या निम्न तालिका के कॉलम कमांक 5 एवं 6 में दर्शित न्यूनतम संख्या तथा कॉलम कमांक 7 एवं 8 में निर्धारित अधिकतम संख्या के बीच निर्धारित की जायेगी।
5. वर्ष भर में न्यूनतम **25** हथियार या **2500** कारतूस से दोनों में कम बिकी होने पर नवीनीकरण नहीं किया जावेगा। इस स्थिति में फार्म कमांक 11 एवं 14 की अनुज्ञप्ति भी नवीनीकृत नहीं किये जाएगें ।
6. यदि किसी हथियार विशेष के लिये पूर्व में अनुज्ञप्ति जारी है परन्तु जिले से प्राप्त निरीक्षण नोट में हथियारों की बिकी निरंक हो, तो उस हथियार के लिये संख्या निम्न तालिका के कॉलम 5 एवं 6 अनुसार नवीनीकृत किया जायेगा।

स.क.	शस्त्र का नाम	प्रपत्र 11 मरम्मत		प्रपत्र 12 (बिकी)				प्रपत्र 14 (सेफ कस्टडी)			
		न्यूनतम हथियार	अधिकतम हथियार	न्यूनतम		अधिकतम		न्यूनतम		अधिकतम	
				हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	22 बोर रायफल	5	20	10	1000	50	5000	10	500	50	2000
2	बी.एल.गन	5	50	20	2000	100	10000	20	1000	200	5000
3	रायफल	5	50	20	2000	100	10000	20	1000	200	5000
4	पिस्टल/रिवाल्वर	5	20	10	1000	50	10000	10	200	50	2000
5	एम.एल गन	5	50	10	1000	50	2000	10	1000	50	2000
6	टोपी	-	-	-	1000	-	2000	-	200	-	2000
7	12 बोर शार्टगन	5	20	10	1000	50	2000	10	200	50	2000
8	लेड शोट	-	-	-	20 Kg	-	50 Kg	-	-	-	-

12.3.10

अनिल कुमार
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
गृह विभाग

मरम्मत– फार्म नम्बर–11

1. प्रारम्भिंक तौर पर नए शस्त्र दुकानों में मरम्मत का लायसेंस जारी नहीं किया जाएगा। तीन वर्ष की बिक्री का संतोषजनक परिणाम आने के बाद ही मरम्मत की अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।
2. जिनको अभी तक यह लायसेंस जारी हो चुका है, यदि उनके व्दारा मरम्मत का कार्य नगण्य है तो उनके मरम्मत के लायसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।
3. यह मापदण्ड गत 3 वर्ष/एक वर्ष जिसकी जानकारी उपलब्ध है। वर्ष भर में मरम्मत किये गये हथियारों के वार्षिक औसत के एक तिहाई संख्या में 5 के अगले गुणक पर राउण्ड कर निर्धारित किया जायेगा।
4. मरम्मत के ऑकड़ों के आधार पर न्यूनतम हथियारों की मरम्मत के लायसेंस कॉलम 3 में दर्शित संख्या अनुसार जारी किया जायेगा एवं मरम्मत के लिये अधिकतम संख्या में कॉलम 4 के अनुसार जारी किया जायेगा।

फार्म नम्बर 14 सेफ कस्टडी–

1. प्रारम्भिंक तौर पर नए शस्त्र दुकानों को सेफ कस्टडी की अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी।
2. तीन वर्ष के पश्चात ही दुकानों की बिक्री के आधार पर सेफ कस्टडी के लायसेंस जारी किया जायेगा। यह लायसेंस भी कॉलम 9 एवं 10 के अनुसार न्यूनतम संख्या में तथा कॉलम नम्बर 11 एवं 12 के अधिकतम संख्या की सीमा में जारी किया जायेगा।
3. दुकानों के आकार के आधार पर एवं पूर्व के वर्षों में उसके व्दारा सेफ कस्टडी में जमा कराये गये हथियारों के संख्या के आधार पर अधिकतम मापदण्ड और भी बढाई जा सकती है।
4. सामान्य स्थिति में यह मापदण्ड वर्ष भर में कुल जमा हुये हथियारों के अगले 10 के गुणक में राउण्ड कर निर्धारित किये जायेगें। कारतूसों की संख्या 1000 के गुणक पर नियत की जायगी।

12.3.10

अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग